पंजीकृत संख्या–यू0ए0 / डी0ओ0 / डी0डी0एन0 / 30 / 2009–11
(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की

खण्ड–10] रुड़की, शनिवार, दिनांक 25 जुलाई, 2009 ई0 (श्रावण 03, 1931 शक सम्वत्) [संख्या–30

विषय–सूची

प्रत्येक भाग के पृष्ठ अलग–अलग दिये गए हैं, जिससे उनके अलग–अलग खण्ड बन सकें

विषय	पृष्ठ संख्या	वार्षिक चन्दा रु0
सम्पूर्ण गजट का मूल्य	–	3075
भाग 1–विज्ञप्ति–अवकाश, नियुक्ति, स्थान–नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस ...	295–311	1500
भाग 1–क–नियम, कार्य-विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया ...	237	1500
भाग 2–आज्ञाएं, विज्ञप्तियां, नियम और नियम विधान, जिनको केन्द्रीय सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया, हाई कोर्ट की विज्ञप्तियां, भारत सरकार के गजट और दूसरे राज्यों के गजटों के उद्धरण	–	975
भाग 3–स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़-पत्र, नगर प्रशासन, नोटीफाइड एरिया, टाउन एरिया एवं निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा पंचायतीराज आदि के निदेश जिन्हें विभिन्न आयुक्तों अथवा जिलाधिकारियों ने जारी किया ...	45–48	975
भाग 4–निदेशक, शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड	–	975
भाग 5–एकाउन्टेन्ट जनरल, उत्तराखण्ड	–	975
भाग 6–बिल, जो भारतीय संसद में प्रस्तुत किए गए या प्रस्तुत किए जाने से पहले प्रकाशित किए गए तथा सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट	–	975
भाग 7–इलेक्शन कमीशन ऑफ इण्डिया की अनुविहित तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां	–	975
भाग 8–सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि ...	–	975
स्टोर्स पर्चेज–स्टोर्स पर्चेज विभाग का क्रोड़-पत्र आदि ...	–	1425

भाग 1

विज्ञप्ति–अवकाश, नियुक्ति, स्थान–नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस

औद्योगिक विकास अनुभाग–1

कार्यालय ज्ञाप

13 जुलाई, 2009 ई0

संख्या 1157/VII–1–09/471–उद्योग/2002–"उत्तर प्रदेश उद्योग (ज्येष्ठ समूह "क") नियमावली, 1991," जो उत्तराखण्ड राज्य में "उत्तराखण्ड [उत्तर प्रदेश उद्योग (ज्येष्ठ समूह "क") नियमावली, 1991], अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002", एवं "उत्तराखण्ड [उत्तर प्रदेश उद्योग (ज्येष्ठ समूह "क") नियमावली, 1991], अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002" (संशोधन) नियमावली, 2009" में इंगित प्राविधानों के अन्तर्गत प्रवृत्त है, के नियम 5(1) में दी गयी व्यवस्था के अन्तर्गत श्री सुधीर चन्द्र नौटियाल, संयुक्त निदेशक, उद्योग विभाग, उत्तराखण्ड को विभागीय पदोन्नति समिति की संस्तुतियों के आधार पर उद्योग विभाग में उपलब्ध अपर निदेशक, वेतनमान रु0 14,300–18,300 (सादृश्य वेतन बैंड–4, रु0 37,400–67,000, ग्रेड पे–रु0 8,700) के रिक्त पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से नियमित रूप से प्रोन्नत किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2–पदोन्नति के फलस्वरूप श्री सुधीर चन्द्र नौटियाल को अपर निदेशक, उद्योग के पद पर उद्योग निदेशालय, देहरादून में तैनात किया जाता है।

आज्ञा से,

पी0 सी0 शर्मा,
प्रमुख सचिव।

वित्त अनुभाग–9

अधिसूचना

15 जुलाई, 2009 ई0

संख्या 406/XXVII(9)/स्टाम्प–55/2009–चूंकि, राज्य सरकार का यह समाधान हो गया है कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक एवं समीचीन है;

अतः, भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (अधिनियम संख्या 2, वर्ष 1899) की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके श्री राज्यपाल, अधिसूचना संख्या 26/XXVII(9)/स्टाम्प/2008, दिनांक 31 मार्च, 2008 में आंशिक संशोधन करते हुए अधिसूचना में निहित उद्देश्यों के लिये दिनांक 31–03–2010 की तारीख तक रुपये 3,00,000.00 (रुपये तीन लाख मात्र) तक के ऋण पर स्टाम्प शुल्क प्रभार्य न किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

आज्ञा से,

आलोक कुमार जैन,
प्रमुख सचिव।

शिक्षा अनुभाग–7

अधिसूचना

प्रकीर्ण

30 जून, 2009 ई0

संख्या 730/xxxiv(7)23(1)/2009–"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल, उत्तराखण्ड उच्चतर शिक्षा (समूह 'क') सेवा नियमावली, 2003 में अग्रेत्तर संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :–

"उत्तराखण्ड उच्चतर शिक्षा (समूह 'क') सेवा (संशोधन) नियमावली, 2008"

1–संक्षिप्त नाम एवं प्रारम्भ–

(1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड उच्चतर शिक्षा (समूह 'क') सेवा (संशोधन) नियमावली, 2008 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

2–नियम 10 के खण्ड (ख) का प्रतिस्थापन–

उत्तराखण्ड उच्चतर शिक्षा (समूह 'क') सेवा नियमावली, 2003 (जिसे आगे उक्त नियमावली कहा गया है) के नियम 10 के खण्ड (ख) में नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये खण्ड के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया खण्ड प्रतिस्थापित कर दिया जायेगा, अर्थात–

स्तम्भ–1 वर्तमान खण्ड	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित खण्ड
(ख) प्रदेश के राजकीय महाविद्यालयों में कार्यरत विजिटिंग लैक्चरर तथा अंशकालिक प्रवक्ताओं को, जो विहित अर्हता पूर्ण करते हैं, को अधिकतम् आयु सीमा में उतनी छूट अनुमन्य होगी जितनी पद हेतु आवश्यक हो, बशर्ते कि विजिटिंग लैक्चरर तथा अंशकालिक प्रवक्ताओं की आयु इस रूप में पद का प्रस्ताव प्राप्त होने के समय विहित आयु सीमा के अन्तर्गत रही हो।	(ख) प्रदेश के राजकीय महाविद्यालयों में कार्यरत विजिटिंग लैक्चरर तथा अंशकालिक प्रवक्ताओं को, जो विहित अर्हता पूर्ण करते हैं, अधिकतम् आयु सीमा में उतनी छूट अनुमन्य होगी जितनी पद हेतु आवश्यक हो, बशर्ते कि विजिटिंग लैक्चरर तथा अंशकालिक प्रवक्ताओं की आयु इस रूप में पद पर प्रारम्भिक नियुक्ति के समय विहित आयु सीमा के अन्तर्गत रही हो।

3–नियम 15 में एक नये उप नियम (5) का अन्तःस्थापन–

उक्त नियमावली के नियम 15 के उप नियम (4) के बाद एक नया उप नियम (5) अन्तःस्थापित कर दिया जायेगा, अर्थात्–

"(5) लोक सेवा आयोग द्वारा उत्तराखण्ड उच्चतर शिक्षा (समूह 'क') सेवा नियमावली, 2003 के अधीन प्रवक्ता पद के लिये आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाने पर आवेदन करने वाले उत्तराखण्ड के राजकीय महाविद्यालयों/राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालयों में कार्य कर रहे अर्ह विजिटिंग प्रवक्ताओं को लोक सेवा आयोग द्वारा परीक्षा/साक्षात्कार में सम्मिलित होने के लिये आमंत्रित किया जाना आवश्यक होगा।"

आज्ञा से,

अंजली प्रसाद,
सचिव।

In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification **no. 730/XXIV(7)23(1)/2009,** dated March 30, 2009 for general information :

NOTIFICATION

Miscellaneous

June 30, 2009

No. 730/XXIV(7)23(1)/2009--In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the "Constitution of India", the Governor is pleased to make the following rules with a view to further amending the Uttarakhand Higher Education (Group 'A') Service Rules, 2003.

"THE UTTARAKHAND HIGHER EDUCATION (GROUP 'A') SERVICE (AMENDMENT) RULES, 2008

1. Short title and Commencement--

(1) These Rules may be called the Uttarakhand Higher Education (Group 'A') Service (Amendment) Rules, 2008.

(2) These shall come into force at once.

2. Substitution of Clause (b) of Rule 10--

In the Uttarakhand Higher Education (Group 'A') Service Rules, 2003 (hereinafter referred to as said rules) in clause (b) of rule 10 set out in column 1 below, the clause as set out in column 2 shall be substituted; namely :--

Column-1 **Existing Rule**	**Column-2** **As hereby substituted**
(b) The working Visiting Lectures and Part-time Lectures in Government Colleges of the State who possess prescribed qualification will be given relaxation in the maximum age limit to the extent needed for the post provided the Visiting Lecturer and Part-time Lecturer were under the prescribed age limit at the time of initial appointment as Visiting Lectures/Part-time lecturers.	(b) The Visiting Lecturers and Part-time Lecturers working in Government Colleges of the State who fulfil the prescribed qualification will be given relaxation in upper age limit to the extent required for the post provided the age of Visiting Lecturers and Part-time lecturers was within the prescribed age limit at the time of initial appointment to the post.

3. Insertion of a new sub-rule (5) in rule 15 in the Uttarakhand Higher Education (Group 'A') Service Rules, 2003--

In rule 15 of the said rules, a new sub-rule (5) shall be inserted after sub-rule (4); namely--

"(5) The qualified Visiting Lecturers working in the Government Colleges/Post Graduate Colleges of Uttarakhand who apply for the post of Lecturer in case application are invited for such posts by Public Service Commission Uttarakhand under the Uttarakhand Higher Education (Group 'A') Service Rueis, 2003 shall be called for Examination/Interview by the Public Service Commission."

By Order,

ANJALI PRASAD,
Secretary.

सामान्य प्रशासन विभाग

अधिसूचना

10 जुलाई, 2009 ई0

संख्या 419/XXXI(13)G/09--45(2)/2006--राज्यपाल, युद्धाभ्यास और खुले क्षेत्र में गोला चलाने तथा तोप दागने का अभ्यास अधिनियम, 1938 (अधिनियम संख्या 5, सन् 1938) की धारा 9 की उपधारा (3) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके नीचे अनुसूची में विनिर्दिष्ट क्षेत्र को ऐसा क्षेत्र परिनिश्चित करते हैं, जिसमें पहली दिसम्बर दो हजार छः से आरम्भ होने वाली और तीस नवम्बर दो हजार ग्यारह को समाप्त होने वाली पांच वर्ष की अवधि के लिए नियम काल पर खुले क्षेत्र में गोला चलाने और तोप दागने का अभ्यास किया जाना प्राधिकृत किया जा सकता है :--

क्षेत्र का विवरण

अनुसूची

जिला	तहसील का नाम	ग्राम का नाम	क्षेत्रफल (एकड़ में)
1	2	3	4
पिथौरागढ़	पिथौरागढ़	1--ऐंचौली	5887.12
		2--खड़किनी	4658.15

1	2	3	4
पिथौरागढ़	पिथौरागढ़	3–धार धिमौड़ा	3564.07
		4–गैना	6902.06
		5–डाल (थरकोट)	1437.04
		6–स्यूनी	10031.12
		7–बमनथल	1728.08
		8–भीलोंत	4864.09
		9–तोली फगाली	10697.15
		10–इग्यार	9612.00
		11–सिरमोली	556.06
		12–गुरूना	8002.06
		13–गौगना	49512.10
		14–सेरीकाण्डा	—
		15–बिनायक	—
		16–सिरतोली काढ़े	—
		17–बेड़ा	27902.15
		18–बमराडी सिमली	21553.04
		19–निसनी	24441.08
		20–हिमतर	14641.10
		21–जाजर चिंगरी	27263.00
		22–पाटी पलचौड़ा	13777.13
		23–सल्ला	48391.12
		24–सेल	30047.04
		25–शिलिगिंया	22574.00
		26–तोली	10026.08
		27–लोदगाड़	14511.00
		28–बड़ाबे	53944.06
		29–पत्थरखानी	5129.15
		30–डेयाडार	12579.06
		31–मर्सोली भाट	23117.07
		32–सुन्तरापोखरी	4453.05

टिप्पणी:–उक्त भूमि का स्थल–नक्शा (साइट–प्लान) पिथौरागढ़, कलेक्टर के कार्यालय में हितबद्ध व्यक्ति द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है।

आज्ञा से,

राजीव चन्द्र,
सचिव।

In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification **no. 419/XXXI(13)G/09-45(2)/2006,** dated July 10, 2009 for general information :

NOTIFICATION

July 10, 2009

No. 419/XXXI(13)G/09-45(2)/2006–In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 9 of the Manoeuvres, Field Firing and Artillery Practice Act, 1938 (Act no. V of 1938), the Governor is pleased to define the area specified in the Schedule below as the area within which for the period of Five Years commencing on the first day of December, 2006 and ending with the thirty November, 2011 the carrying out, periodically of field firing and artillery practice may be authorized.

SCHEDULE

District	Name of Tahsil	Name of Village	Area (in Acre)
1	2	3	4
Pithoragarh	Pithoragarh	1-Aincholi	5887.12
		2-Kharkini	4658.15
		3-Dhar Dhimora	3564.07
		4-Gaina	6902.06
		5-Dal (Tharkot)	1437.04
		6-Syuni	10031.12
		7-Bamanthal	1728.08
		8-Bhilont	4864.09
		9-Toli Fagaly	10697.15
		10-Igyar	9612.00
		11-Sirmoli	556.06
		12-Guma	8002.06
		13-Gogana	49512.10
		14-Sarikanda	–
		15-Binayak	–
		16-Sirtoli Kandhe	–
		17-Bera	27902.15
		18-Bamrari Simali	21553.04
		19-Nisani	24441.08
		20-Himtarh	14641.10
		21-Jajar Chinagri	27263.00
		22-Pati Palchora	13777.13
		23-Salla	48391.12
		24-Sel	30047.04
		25-Silngiya	22574.00
		26-Toli	10026.08
		27-Lodgarh	14511.00
		28-Barabe	53944.06
		29-Patharkhani	5129.15
		30-Deodar	12579.06
		31-Marsoli Bhat	23117.07
		32-Suntarapakhari	4453.05

Note–A site-plan of the land may be inspected by the interested person in the Office the District Magistrate, Pithoragarh.

By Order,

RAJEEV CHANDRA,
Secretary.

शिक्षा अनुभाग–6

दून विश्वविद्यालय प्रथम अध्यादेश, 2009

23 जुलाई, 2009 ई0

संख्या 153/XXIV(6)/2009–राज्यपाल, दून विश्वविद्यालय अधिनियम, 2005 (राज्य अधिनियम संख्या 18, वर्ष 2005) की धारा 24 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके दून विश्वविद्यालय के कार्य संचालन हेतु निम्नलिखित अध्यादेश बनाते हैं:–

अध्याय–एक

प्रारम्भिकी

1–संक्षिप्त नाम, प्रारम्भ, विस्तार और निर्वचन–

(1) इन अध्यादेशों का संक्षिप्त नाम दून विश्वविद्यालय प्रथम अध्यादेश, 2009 है।

(2) ये अध्यादेश यथानियत तारीख से प्रभावी होंगे और इनसे विश्वविद्यालय में प्रवेश लेने वाले तथा उनमें पंजीकृत होने वाले छात्र आच्छादित होंगे।

(3) इन अध्यादेशों के निर्वचन के संबंध में कुलाधिपति का निर्णय अंतिम होगा।

अध्याय–दो

छात्रों का प्रवेश और पंजीकरण

2–शैक्षणिक सत्र–

(1) शैक्षिक परिषद् द्वारा जब तक उपान्तरित न किया जाय, विश्वविद्यालय का शैक्षणिक वर्ष जुलाई से जून होगा। यह प्रत्येक 21 सप्ताह के दो सेमिस्टर से मिलकर होगा। सेमिस्टर की रचना निम्नवत् होगी–

(क) निर्देश/सम्पर्क सप्ताह	18
(ख) परीक्षा सप्ताह	03
(ग) सेमिस्टर (प्रथम और द्वितीय) सप्ताह में विभक्त	03 और 06
(घ) प्रति सप्ताह निर्देश/सम्पर्क दिवस	06

(2) शैक्षिक परिषद् द्वारा यथा अनुमोदित शैक्षणिक कलेण्डर को कुलसचिव द्वारा समस्त संकाय सदस्यों को, छात्रों की काउंसिलिंग और पंजीकरण की तारीख इंगित करते हुए, शैक्षणिक वर्ष के दो सेमिस्टरों के दौरान निर्देशों के आरम्भ, सेमिस्टर परीक्षा तथा अन्य होने वाली गतिविधियाँ परिचालित की जाएंगी।

3–प्रवेश–

(1) सभी दृष्टि से पूर्ण और आवेदक द्वारा सम्यक् रूप से भरे गए एवं स्वहस्तलिखित या टंकित आवेदन पत्र विश्वविद्यालय द्वारा इस प्रयोजन हेतु नियत अन्तिम तारीख या उससे पूर्व स्वीकार किए जायेंगे। वर्ष के प्रवेश विवरण पुस्तिका में यथा इंगित सभी पत्रजात/सूचना और शुल्क आवेदन के साथ संलग्न करना आवश्यक होगा।

(2) विश्वविद्यालय में विभिन्न अध्ययन कार्यक्रमों के लिए शैक्षिक परिषद् द्वारा यथानिर्धारित सीटों की संख्या में प्रवेश सामान्यतया वर्ष के प्रथम सेमिस्टर में किए जाएंगे, यद्यपि शोध कार्यक्रमों में प्रवेश द्वितीय सेमिस्टर में भी किए जा सकेंगे।

(3) प्रवेश की प्रक्रिया कुलसचिव के कार्यालय में प्रवेश समन्वयक द्वारा व्यवहृत की जाएंगी। प्रवेश हेतु आवेदन पत्र कुलसचिव/समन्वयक से विहित शुल्क के संदाय पर इस प्रयोजन हेतु अन्तिम तारीख या उससे पूर्व प्राप्त किए जा सकते हैं। आवेदन पत्र आनुकल्पिक रूप से विश्वविद्यालय की वेबसाईट में रखा जायेगा और अपेक्षित शुल्क के पश्चात् जमा किया जाएगा।

4–विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश–

(1) प्रत्येक वर्ष विभिन्न अध्ययन कार्यक्रमों के प्रवेश–

(क) शैक्षिक परिषद द्वारा अधिकथित न्यूनतम अर्हता पूर्ण करने पर

(ख) अभ्यर्थी के अन्तिम संस्था के प्रधान से–

(1) उसे किसी परीक्षा में अनुसूचित सामग्री के प्रयोग में दण्डित नहीं किया गया है, और

(2) उसके द्वारा संस्था के अनुशासन, नियम और विनियमों के उल्लंघन में किसी गतिविधि में प्रतिभाग नहीं किया गया है, का प्रमाण पत्र जमा करने,

(ग) अभ्यर्थी द्वारा विश्वविद्यालय से पदाभिहित चिकित्सक से कि वह विश्वविद्यालय में अध्ययन पाठ्यक्रम को करने के लिए शारीरिक और चिकित्सकीय रूप से स्वस्थ है, का प्रमाण पत्र जमा करने के अध्यधीन दिया जाएगा।

(2) विश्वविद्यालय के विभिन्न अध्ययन पाठ्यक्रमों में प्रवेश प्रतियोगितात्मक परीक्षण/परीक्षा द्वारा गुणावगुण के आधार पर किए जाएंगे। विश्वविद्यालय की शैक्षिक परिषद् प्रत्येक वर्ष आयोजित प्रवेश परीक्षण/परीक्षा के निमित्त तरीके एवं मार्ग–निर्देश विहित करेगी।

5–सीटों का आरक्षण–

(1) विभिन्न अध्ययन पाठ्यक्रमों में उपलब्ध सीटों में प्रवेश के लिए उत्तराखण्ड तथा देश के अन्य भागों के अर्ह अभ्यर्थियों के लिए गुणावगुण के आधार पर क्रमशः 50, 50 प्रतिशत के अनुपात में खुले रहेंगे। विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए अभ्यर्थी के चयन की रीति शैक्षिक परिषद् अधिकथित करेगी।

(2) उत्तराखण्ड के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग व अन्य वर्गों के अभ्यर्थियों के लिए अध्ययन के विभिन्न पाठ्यक्रमों में उत्तराखण्ड सरकार के समय–समय पर जारी आदेशों के अनुरूप सीटें आरक्षित होंगी।

6–प्रवेश का प्रतिषेध–

(1) विश्वविद्यालय में अध्ययन के किसी पाठ्यक्रम में जो अभ्यर्थी किसी दाण्डिक अपराध या नैतिक अधमता के लिए दोषसिद्ध या अभियुक्त है, को प्रवेश नहीं दिया जाएगा।

(2) विश्वविद्यालय में किसी पाठ्यक्रम में विहित प्रक्रिया द्वारा किसी बात के होते हुए भी कुलपति किसी अभ्यर्थी को विश्वविद्यालय के उचित हित में लिखित में कारण अभिलिखित करते हुए प्रवेश देने से मना कर सकेगा।

(3) जो अभ्यर्थी आवेदन पत्र में गलत या असत्य सूचना देगा या प्रवेश परीक्षण के समय गलत सामग्री का प्रयोग करते हुए पाया जाता है, को विश्वविद्यालय प्रवेश देने से मना कर सकेगा। अभ्यर्थी जिसे विश्वविद्यालय ने किसी कारण से वंचित या विवर्जित कर दिया है, को भी विश्वविद्यालय में प्रवेश देने से मना कर सकेगा, चाहे वह प्रवेश परीक्षण में उपस्थित हुआ हो और चयन सूची में स्थान प्राप्त किया हो।

7–पंजीकरण–

(1) प्रत्येक नये या अध्ययनरत छात्र कुलसचिव द्वारा अधिसूचित सूचना की तारीख को संबंधित स्कूल के संकायाध्यक्ष को रिपोर्ट करेगा। परास्नातक छात्र स्वयं के मुख्य विषय के अध्ययन केन्द्र/प्रभाग के अध्यक्ष को रिपोर्ट करेंगे। संकायाध्यक्ष नये अधिस्नातक छात्रों के समूह संकाय सलाहकारों को सौपेंगे। संबधित केन्द्र/प्रभाग के अध्यक्ष परास्नातक छात्रों को संकाय सलाहकारों को सौपेंगे।

(2) सलाहकार छात्रों को आगामी सेमिस्टर के पाठ्यक्रम और उसके कर्तव्य के लिए सहायता करेंगे। प्रत्येक सलाहकार प्रत्येक छात्र की एक पत्रावली तैयार करेगा और सेमिस्टरवार छात्र की प्रगति को अभिलिखित करेगा।

(3) छात्रों की सभी समस्याएं सलाहकार द्वारा संकायाध्यक्ष की जानकारी में लायी जाएंगी।

(4) प्रत्येक प्रशिक्षक के पास दिए जा रहे पाठ्यक्रम में छात्र पंजीकरण (नामांकन) करायेंगे। पंजीकरण कराने के पश्चात् कुलसचिव द्वारा विहित तारीख को–

(1) विश्वविद्यालय के वित्त नियंत्रक के कार्यालय में शुल्क तथा अन्य अवशेषों के भुगतान करने, और

(2) सम्यक् रूप से पूर्ण पंजीकरण कार्ड (सलाहकार पाठ्यक्रम प्रदर्शक और सम्बद्ध अधिकारी के हस्ताक्षर) के बाद जमा करेंगे।

(5) नये छात्र जो अधिसूचित तारीख को पंजीकरण कराने में असफल रहेंगे, के प्रवेश निरस्त कर दिए जाऐंगे और इस प्रकार रिक्त हुई सीटें प्रतीक्षारत छात्रों को आवंटित कर दी जायेंगी। कुलपति यद्यपि नये छात्रों के साथ–साथ अध्ययनरत छात्रों को विश्वविद्यालय द्वारा अभिनिर्धारित विलम्ब शुल्क के भुगतान पर अन्तिम तारीख को पंजीकरण की अनुमति दे सकेगा। कुलसचिव पंजीकरण की अन्तिम तारीख अधिसूचित करेंगे जो पंजीकरण की तारीख के दस कार्य दिवसों के बाद नहीं होगी।

(6) अपरिहार्य परिस्थितियों में कुलपति छात्र को यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि प्रवेश के लिए किया गया विलम्ब छात्र के वश में नहीं था, तो वह पंजीकरण की अनुमति दे सकेगा।

(7) कुलपति या संबंधित स्कूल का संकायाध्यक्ष किसी छात्र का पंजीकरण केन्द्रीय अनुशासन समिति की संस्तुति पर उसके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही पूर्ण करने हेतु पन्द्रह दिन के लिए निलम्बित कर सकती है। छात्र जांच की अवधि में छात्रावास को खाली करेगा और परिसर को छोड़ेगा, यद्यपि यदि कुलपति संतुष्ट है कि छात्र/छात्रों का समूह प्रारम्भिक रूप से विश्वविद्यालय के नियमों/विनियमों, अनुशासन, रैगिंग, दुराचार, उल्लंघन, हड़ताल का दायी है और कक्षा से अनधिकृत रूप से अनुपस्थित है तथा परिसर में ऐसे छात्रों का रहना विश्वविद्यालय हित में नहीं है तो उस छात्र/समूह का समग्र रूप से पंजीकरण निरस्त किया जा सकेगा।

(8) जो छात्र सेमिस्टर में उपलब्ध पाठ्यक्रम में पंजीकृत नहीं होंगे को सेमिस्टर के अन्त में कोई ग्रेड (श्रेणी) प्रदान नहीं की जायेगी चाहे वह पाठ्यक्रम की कक्षाओं में उपस्थित रहा हो।

8–उपाधि कार्यक्रमों की अवधि–

(1) विश्वविद्यालय के छात्र को यदि वह जैसा निम्नवत् विहित है, अपेक्षित उपाधि की अवधि में पूर्ण कर लेता है तो उसे उपाधि संस्थित की जाएगी:

उपाधि	सामान्य	अधिकतम
(क) पी0एच0डी0	6 सेमिस्टर	10 सेमिस्टर
(ख) पांच वर्षीय समेकित मास्टर्स	10 सेमिस्टर	14 सेमिस्टर
(ग) दो वर्षीय मास्टर्स	4 सेमिस्टर	6 सेमिस्टर
(घ) पांच वर्षीय समेकित बैचलर	6 सेमिस्टर	8 सेमिस्टर

(2) ऐसा छात्र जो विहित अवधि के भीतर अपेक्षित उपाधि पूर्ण करने में असफल रहता है तो वह अनुत्तीर्ण घोषित किया जायेगा।

अध्याय–तीन

एम0एस0सी0, एम0ए0, बी0एस0सी0(मानद), बी0ए0 (मानद), बी0एस0सी0(उत्तीर्ण), बी0ए0(उत्तीर्ण) की उपाधि कार्यक्रम के प्रवेश हेतु अर्हता, सलाहकार समिति, पाठयक्रम और मूल्यांकन

9–परिभाषाएं–

(1) इस अध्यादेश में, जब तक कि सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो–

(क) 'अधिनियम' से दून विश्वविद्यालय अधिनियम, 2005 अभिप्रेत है;

(ख) 'शैक्षणिक परिवीक्षा' से शैक्षणिक सम्प्रेक्षण के अधीन छात्र का वह स्थान अभिप्रेत है, जिससे उसकी असंतोषजनक शैक्षणिक कार्य के लिए गणना की जाती है;

(ग) 'सलाहकार' से किसी छात्र को पाठ्यक्रम और अन्य शैक्षणिक मामलों में संबंधित स्कूल द्वारा सलाह देने के लिए नामनिर्दिष्ट सदस्य अभिप्रेत है;

(घ) 'पाठ्यक्रम' से सेमिस्टर में अध्ययन के लिए दिया जाने वाला पाठ्यक्रम अभिप्रेत है;

(ड) 'सम्पर्क अवधि' से अध्ययन के सम्बन्ध में सप्ताह में शिक्षक–छात्र के मध्य सम्पर्क अवधि अभिप्रेत है;

(च) 'पाठ्य कार्यक्रम' से अध्ययन कार्यक्रम का अपेक्षित पाठ्यक्रम इंगित करते हुए उपाधि दिए जाने के लिए अध्ययन अभिप्रेत है;

(छ) 'क्रेडिट' से सम्पर्क अवधि के संदर्भ में किसी पाठ्यक्रम का अधिमान अभिप्रेत है;

(ज) 'ग्रेड' से वर्णक्रम द्वारा अभिव्यक्त छात्र की उपलब्धि का परिभाषित स्तर अभिप्रेत है;

(झ) 'ग्रेड प्वांइट' से पाठ्यक्रम के क्रेडिट संख्या के साथ ग्रेड प्वांइट गुणक द्वारा पाठ्यक्रम में प्राप्त अंक अभिप्रेत है;

(ञ) 'सेमिस्टर ग्रेड प्वांइट औसत' से छात्र द्वारा अर्जित कुल ग्रेड प्वांइट उस सेमिस्टर में छात्र द्वारा कुल क्रेडिट संख्या से प्राप्त भागफल अभिप्रेत है;

(ट) 'संचयी ग्रेड प्वांइट औसत से' छात्र द्वारा सभी पाठ्यक्रमों में कुल ग्रेड प्वाइंट अर्जित उस सेमिस्टर तक छात्र द्वारा कुल क्रेडिट संख्या से प्राप्त भागफल अभिप्रेत है;

(ठ) 'समग्र ग्रेड प्वांइट औसत' से छात्र द्वारा सभी अर्जित ग्रेड प्वांइट उपाधि कार्यक्रम के अंत में छात्र द्वारा प्राप्त किए गए क्रेडिट संख्या से प्राप्त भागफल अभिप्रेत है;

(ड) 'परास्नातक' से मास्टर या शोध उपाधि कार्यक्रम के लिए नामांकित छात्र अभिप्रेत है;

(ढ) 'अधिस्नातक' से प्रथम उपाधि (बेचलर्स) कार्यक्रम के लिए नामांकित छात्र अभिप्रेत है।

(2) इस अध्यादेश में प्रयुक्त अन्य समस्त शब्दों तथा पदों का , जिन्हें परिभाषित नहीं किया गया है, अर्थ क्रमशः वही होगा, जो अधिनियम में दिया गया है।

10—अर्हता और प्रवेश की रीति—

(1) माध्यमिक शिक्षा परिषद् द्वारा मान्यता प्राप्त अथवा दून विश्वविद्यालय द्वारा विचारित समकक्ष परीक्षा द्वारा माध्यमिक शिक्षा प्रमाण पत्र (10+2) उत्तीर्ण अभ्यर्थी पांच वर्षीय समेकित परास्नातक उपाधि के लिए अर्ह होंगे।

(2) दून विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त अथवा समकक्ष उपाधि प्राप्त अभ्यर्थी स्नातक उपाधि के लिए 10+2+3 पद्धति के अधीन सातवें सेमिस्टर में समेकित परास्नातक उपाधि कार्यक्रम के लिए अर्ह होंगे।

(3) प्रवेश के लिए विशिष्ट अपेक्षाएं यदि कोई हो, तो शैक्षणिक परिषद् द्वारा विहित की जा सकेगी।

11—सलाहकार और सलाहकार समिति—

(1) समेकित परास्नातक अथवा दो वर्षीय परास्नातक कार्यक्रम के प्रत्येक प्रवेशित छात्र को सम्बन्धित स्कूल द्वारा संकाय सलाहकार प्रत्यायित किए जायेंगे, जो छात्रों को पाठ्यक्रम चुनने की सलाह देंगे और उपाधि कार्यक्रम में रहने के दौरान सभी शैक्षणिक गतिविधियों में शैक्षणिक मार्गदर्शन करेंगे।

(2) सलाहकार उसके सभी शैक्षणिक गतिविधियों के अभिलेखों का रख—रखाव करेंगे।

(3) पाठ्यक्रम/पाठ्यक्रमों पंजीकरण सम्बन्धित छात्र की अनन्यतः उत्तरदायित्व होगा। पंजीकरण करने में असफल रहने या पंजीकरण के विलम्ब के लिए छात्र को होने वाले क्षतियों के लिए छात्र स्वयं उत्तरदायी होंगे।

(4) सलाहकार अध्यक्ष सहित प्रत्यायित तीन सदस्यों से संरचित प्रत्येक परास्नातक छात्र के लिए एक सलाहकार समिति होगी।

(5) संबंधित स्कूल के संकायाध्यक्ष के अनुमोदन से सामान्यतः एक माह के भीतर सलाहकार समिति सलाहकार नियुक्त करेगी।

(6) छात्र के शैक्षणिक कार्य के अनुश्रवण हेतु सलाहकार समिति सामान्यतः प्रत्येक सेमिस्टर में बैठक करेगी, यद्यपि सलाहकार जब आवश्यक समझे, किसी भी समय छात्र की प्रगति के लिए विमर्श हेतु समिति की बैठक बुलाने के लिए स्वतंत्र होगा।

12—पाठ्यक्रम कार्यक्रम—

(1) विश्वविद्यालय में स्नातक उपाधि (दस सेमिस्टर के समेकित कार्यक्रम में प्रथम छः सेमिस्टर तक के) कार्यक्रम छात्र के लिए आवंटित होने वाली उपाधि के पूर्ण करने की अपेक्षित पाठ्यक्रम की सूची होगी। प्रथम छः सेमिस्टर के लिए पाठ्यक्रम कार्यक्रम सम्बन्धित स्कूल द्वारा तैयार और शैक्षिक परिषद् द्वारा अनुमोदित किए जायेंगे।

(2) परास्नातक कार्यक्रम में अध्ययनरत छात्र को (सातवें से दसवें सेमिस्टर के समेकित कार्यक्रम) सलाहकार/सलाहकार समिति उसके अध्ययन के कार्यक्रम उपाधि आवंटित करने के लिए अपेक्षित कार्यक्रम इंगित करते हुए तैयार करेगी और छात्र के उपाधि कार्यक्रम में प्रवेश के प्रथम सेमिस्टर के अन्त में सम्बन्धित स्कूल द्वारा इसे उसके संकायाध्यक्ष को प्रस्तुत करेगी।

(3) प्रत्येक परास्नातक छात्र के पाठ्यक्रम का कार्यक्रम सलाहकार/सलाहकार समिति द्वारा तैयार किए जायेंगे जो कि सारभूत और अन्य अपेक्षित पाठ्यक्रमों के मान के साथ प्रत्येक के लिए प्रमुख सूची तैयार करेगा। सारभूत पाठ्यक्रम कार्यक्रम पंजीकृत छात्रों के लिए आवश्यक होंगे। छात्र निर्वाचन, सामान्य, उपचारिक या अन्य कोई पाठ्यक्रम जैसे सलाहकार समिति विहित करे, ले सकते हैं। पाठ्यक्रम के कार्यक्रम में अध्ययन के गौण क्षेत्र में यदि कोई हो वह अनुसूचित अपेक्षित पाठ्यक्रमों से भी ले सकते हैं।

(4) पाठ्यक्रम में उसके स्तर, अधिमान, उसकी क्रेडिट संख्या के सम्बन्ध में और सम्बन्धित स्कूल द्वारा वर्ष में सामान्यतया दिए जाने वाले पाठ्यक्रम संख्याकित किए जायेंगे।

13–स्नातक कार्यक्रमों के लिए अपेक्षित क्रेडिट संख्या–

(1) विश्वविद्यालय में प्रत्येक उपाधि कार्यक्रम के लिए अपेक्षित क्रेडिट संख्या संकाय परिषद् की संस्तुति पर शैक्षिक परिषद् द्वारा अधिकथित किए जायेंगे।

(2) परास्नातक उपाधि कार्यक्रम के लिए सामान्यतया शोध ग्रन्थ या औपचारिक पत्र या शोध परियोजना रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए नियत पाठ्यक्रम पूर्ण करना अपेक्षित होगा।

(3) जब तक शैक्षिक परिषद् द्वारा अन्यथा विहित न किया जाय, समेकित परास्नातक कार्यक्रम न्यूनतम 170 प्रत्यय के पाठ्यक्रम कार्य से मिलकर बनेंगे, जिसमें न्यूनतम 500 और 600 क्रम पाठ्यक्रम के 30 क्रेडिट और सातवें, आठवें, नवें तथा दसवें सेमिस्टर के दौरान छात्र द्वारा तैयार शोध पत्र के 20 क्रेडिट होंगे। संचार के परास्नातक कार्यक्रम के मामले में पाठ्यक्रम कार्य के लिए 40 क्रेडिट तथा शोध परियोजना कार्य के लिए 10 क्रेडिट होंगे।

(4) सातवें सेमिस्टर पर दो वर्षीय परास्नातक कार्यक्रम में प्रवेश करने वाले छात्रों से सलाहकार/सलाहकार समिति द्वारा इंगित कतिपय प्रारम्भिक पाठ्यक्रम जैसे उपचारिक/अन्य पाठ्यक्रम की अपेक्षा की जाएगी।

(5) कोई छात्र जो सफलतापूर्वक न्यूनतम 120 क्रेडिट न्यूनतम संचयी श्रेणी अंक औसत के 500 क्रेडिट के साथ पूर्ण करेंगे, स्नातक उपाधि के लिए अर्ह होंगे।

(6) कोई छात्र जो किसी पाठ्यक्रम/पाठ्यक्रमों में असफल रहेंगे, को पाठ्यक्रम पुनः पूर्ण करते हुए अध्ययन कार्यक्रम में अपेक्षित श्रेणी के अंक प्राप्त करने होंगे।

14–पाठ्यक्रम का मूल्यांकन और अपेक्षित श्रेणी अंक–

(1) विश्वविद्यालय विभिन्न पाठ्यक्रमों/कार्यक्रमों के अध्ययन का सामयिक मूल्यांकन रीति शैक्षिक परिषद् द्वारा अधिकथित की जाएगी। छात्र की शैक्षणिक दक्षता 10 अंक की श्रेणी माप से की जाएगी।

(2) प्रत्येक स्कूल की एक परीक्षा परिषद् होगी, जिसमें स्कूल से सभी पाठ्यक्रम प्रदर्शक अध्ययन संबंधित सेमिस्टर के विभिन्न पाठ्यक्रमों में श्रेणी पार्श्व का पुनरीक्षण सम्मिलित होगा। संबंधित संकायाध्यक्ष परिषद् का अध्यक्ष नामित करेगा।

(3) अध्यापक छात्र के प्रत्येक पाठ्यक्रम में सामयिक अंक आवंटित करने हेतु विहित प्रक्रिया से परीक्षा/मूल्यांकन करेगी। सेमिस्टर के अन्त में पाठ्यक्रम में कुल प्राप्तांक 100 में से श्रेणी में परिवर्तित की जाएगी। यदि छात्रों की संख्या एक कक्षा में 15 या उससे न्यून है तो नीचे तालिका 1 में रीति दी गयी है।

तालिका–1 : छात्रों की शैक्षणिक दक्षता की श्रेणियां

शैक्षणिक दक्षता	श्रेणी	श्रेणी अंक	100 में से प्राप्त अंक
अति उत्कृष्ट	ए +	10	90–100
उत्कृष्ट	ए	9	80–90 से न्यून
बहुत अच्छा	बी +	8	70–80 से न्यून
अच्छा	बी	7	60–70 से न्यून
सामान्य	सी	6	50–60 से न्यून
उत्तीर्ण	डी	5	40–50 से न्यून
खराब	ठ	3	30–40 से न्यून
अनुत्तीर्ण	एफ	1	30 से न्यून अथवा 85 प्रतिशत से न्यून उपस्थिति

(4) कक्षा के लिए जिसमें छात्र संख्या 30 या अधिक है तो छात्र दक्षता तालिका 2 में दिए गए तरीके से श्रेणी प्रयुक्त की जाएगी। औसत से (□) कक्षा अंक और मानक अतिक्रम अंकों के निर्धारण के लिए सीमा सहित (σ) होगी।

तालिका– 2 न्यून और उच्च अंक स्तर के मामले में श्रेणी

अंक

श्रेणी	न्यून स्तर के अंक	उच्च स्तर के अंक
ए+		≥□+ 1.5 σ
ए	≥□+ 1 σ	≥□+ 1 σ
बी+	≥□+ 0.5 σ	≥□+ 0.5 σ
बी	≥□	≥□
सी	□– 0.5 σ	≥□-0.5 σ
डी	≥□– 1.0 σ	≥□-1.0 σ
इ	≥□- 1.5 σ	≥□- 1.5 σ
एफ	□-1.5σ से नीचे	□-1.5σ से नीचे

(5) कक्षा में छात्र संख्या 15 और 30 से न्यून के लिए रीति तालिक 1 में दी गयी है या सांख्यिक रीति से कक्षा अंक से औसत (□) है और माप विचलन (σ) छात्र दक्षता के लिए तालिका 2 में दिए गए तरीके से श्रेणी प्रयुक्त की जा सकेगी।

(6) छात्र द्वारा सेमिस्टर पाठ्यक्रम में प्राप्त ग्रेड प्वाईंट पाठ्यक्रम की क्रेडिट संख्या से गुणा करके पाठ्यक्रम के प्वाईंट का आगणन किया जायेगा।

(7) सेमिस्टर ग्रेड प्वाईंट औसत/संचयी ग्रेड प्वाईंट औसत/समग्र ग्रेड प्वाईंट औसत क्रेडिट के आधार पर इस अध्याय (नौ से ग्यारह) में दी गयी प्रक्रिया से आगणित की जाएगी और छात्र द्वारा पाठ्यक्रम में अर्जित श्रेणी अंक सेमिस्टर में दिए गए हैं।

(8) समग्र ग्रेड प्वाईंट औसत का अर्थ निम्नवत् है–

समग्र ग्रेड प्वाईंट अंक	वर्ग
5.000 से 6.000 तक	उत्तीर्ण
6.000 से 7.000 तक	द्वितीय श्रेणी
7.000 से 8.000 तक	प्रथम श्रेणी
8.000 से ऊपर	श्रेष्ठता सहित प्रथम श्रेणी

(9) संचयी ग्रेड प्वाईंट औसत/संचयी ग्रेड प्वाईंट औसत की प्राप्ति के लिए निर्वचन निम्नवत् होगा–

(क) दस सेमिस्टर के समेकित कार्यक्रम के प्रत्येक के प्रथम छः सेमिस्टर में न्यूनतम 5.000 की संचयी ग्रेड प्वाईंट औसत को बनाए रखने की छात्र से अपेक्षा की जायेगी।

(ख) कोई छात्र दस सेमिस्टर समेकित कार्यक्रम के भीतर प्रथम छः सेमिस्टर के लिए सभी विहित पाठ्यक्रमों को छठे सेमिस्टर के अन्त पर 7.000 के संचयी श्रेणी अंक औसत या उससे ऊपर प्राप्त कर उत्तीर्ण कर लेता है तो उसे बी0एस0सी0/बी0ए0 (आनर्स) उपाधि प्राप्त करने और परास्नातक कार्यक्रम करने हेतु अनुमति प्रदान की जाएगी। ऐसे छात्र से मास्टर उपाधि प्राप्त करने हेतु सातवें से दसवें सेमिस्टर तक 7.000 के सीजीपीए प्राप्त करने की अपेक्षा की जाएगी।

(ग) कोई छात्र जो संचयी ग्रेड प्वाईंट औसत 5.000 और 6.000 से कम के मध्य प्राप्त कर लेता है तो वह छठे सेमिस्टर के अन्त में बी0एस0सी0/बी0ए0 की उपाधि प्राप्त करेगा और समेकित मास्टर उपाधि कार्यक्रम से अलग हो जाएगा। इसी प्रकार जो छात्र संचयी ग्रेड प्वाईंट औसत 6.000 और 7.000 से कम के मध्य प्राप्त करेगा तो वह बी0एस0सी0/बी0ए0 की उपाधि द्वितीय श्रेणी में प्राप्त करेगा और कार्यक्रम से वह अलग हो जाएगा।

(घ) कोई छात्र जो चार वर्षीय मास्टर कार्यक्रम के सातवें सेमिस्टर में प्रवेश लेता है से न्यूनतम संचयी ग्रेड प्वाईंट औसत के प्रत्येक चार सेमिस्टर में उसके विश्वविद्यालय में रहने की अवधि में उपाधि दिए जाने हेतु कम से कम 7.000 के अनुरक्षण की अपेक्षा की जाएगी।

(ड) असन्तोषजनक शैक्षिक दक्षता वाले छात्र को इस उद्देश्य के लिए अधिकथित प्रक्रिया के अनुसार शैक्षणिक परिवीक्षा पर रखा जाएगा।

(च) जो छात्र अनुत्तीर्ण (एफ) श्रेणी प्राप्त करेंगे पुनः पाठ्यक्रम में अध्ययन करेंगे। किसी मामले में पुनर्रपाठ्यक्रम करने पर भी 5.000 संचयी ग्रेड प्वाईंट औसत/समग्र ग्रेड प्वाईंट औसत प्राप्त कर अनुत्तीर्ण होंगे और पाठ्यक्रम में अपनी श्रेणी में एफ के साथ सुधार करेंगे, उन्हें इसके अतिरिक्त साधारण इ श्रेणी (साधारण) में रखने की अनुमति दी जाएगी। यद्यपि छात्र की अन्तिम अनुलिपि जारी करते समय अनुत्तीर्ण की क्रेडिट संख्या में समग्र ग्रेड प्वाईंट की गणना नहीं की जाएगी।

(10) मामले की महत्ता को दृष्टिगत रखने और/या संबंधित स्कूल/केन्द्र की संस्तुति पर शैक्षिक परिषद् आपवादिक मामलों में उपर्युक्त प्रावधानों में छूट दिए जाने हेतु सेमिस्टर ग्रेड प्वाईंट औसत/संचयी ग्रेड प्वाईंट औसत/समग्र ग्रेड प्वाईंट औसत के लिए सहपाठी के न्यून किए बिना कारण दर्शाते हुए विवेक का प्रयोग कर सकेगा।

15—उपाधि/पाठ्यक्रम कार्यक्रम विकास और पाठ्यविवरण—

स्नातक उपाधि/पाठ्यक्रम कार्यक्रम और पाठ्य विवरण तथा मास्टर पाठ्य विवरण संबंधित स्कूल द्वारा तैयार और शैक्षिक परिषद् द्वारा अनुमोदित किए जाएंगे। मास्टर उपाधि/पाठ्यक्रम कार्यक्रम सलाहकार समिति द्वारा तैयार और संबंधित स्कूल द्वारा अनुमोदित किए जाएंगे।

अध्याय—चार

शोध उपाधि ग्रहण करने वाले छात्रों के लिए प्रवेश की अर्हता, सलाहकार समिति, पाठ्यक्रम और मूल्यांकन

16—प्रवेश की अर्हता और रीति—

(1) संबंधित विषय में परास्नातक उपाधि का अभ्यर्थी या दून विश्वविद्यालय में संबंधित विषय या विश्वविद्यालय द्वारा अपनी उपाधि के समकक्ष समझे जाने वाली किसी अन्य विश्वविद्यालय/संस्था के परास्नातक उपाधि में प्रवेश के लिए अर्ह होंगे।

(2) शैक्षिक परिषद् अन्य अपेक्षाएं और समय—समय पर विश्वविद्यालय में विभिन्न शोध कार्यक्रमों के प्रवेश की प्रक्रिया अधिकथित कर सकेगी।

17—सलाहकार और सलाहकार समिति—

(1) डाक्टरल कार्यक्रम के प्रत्येक प्रवेशित छात्र को सम्बन्धित स्कूल द्वारा संकाय सलाहकार प्रत्यायित किए जायेंगे जो छात्रों को पाठ्यक्रम चुनने की सलाह देंगे और उपाधि कार्यक्रम के दौरान सभी शैक्षणिक गतिविधियों में मार्गदर्शन करेंगे।

(2) सलाहकार उसके सभी शैक्षणिक गतिविधियों के अभिलेखों का रख—रखाव करेंगे।

(3) प्रत्येक परास्नातक छात्र के लिये एक सलाहकार समिति होगी जो चार सदस्यों से संरचित होगी जिसमें एक गौण विषय से संबंधित उस स्कूल से भिन्न स्कूल का सदस्य होगा जहां पाठ्यक्रम संचालित किया जा रहा है। सलाहकार समिति का अध्यक्ष होगा।

(4) सलाहकार समिति सलाहकार की नियुक्ति के एक माह के भीतर संबंधित स्कूल के संकायाध्यक्ष के अनुमोदन से नियुक्त होगी।

(5) सलाहकार समिति छात्र के शैक्षणिक प्रदर्शन का अनुश्रवण प्रत्येक सेमिस्टर में करेगी। जबकि, सलाहकार जहां आवश्यक हो, छात्रों के शैक्षणिक प्रदर्शन के अनुश्रवण हेतु समिति की बैठक आहूत कर सकता है।

(6) जहां आवश्यक हो सलाहकार समिति विश्वविद्यालय में शोध कार्यक्रम के लिए छात्र से विहित परास्नातक कार्यक्रम के लिए विहित क्रेडिट प्वाईंट से अधिक पाठ्यक्रम लेने के लिए कह सकती है।

18 पाठ्यक्रम कार्यक्रम–

(1) छात्र द्वारा लिए जाने वाले पाठ्यक्रमों को इंगित करके शोध उपाधि के लिए पाठ्यक्रम कार्यक्रम सलाहकार/सलाहकार समिति द्वारा तैयार और सम्बन्धित स्कूल के संकायाध्यक्ष द्वारा अनुमोदित किए जायेंगे।

(2) पाठ्यक्रम कार्यक्रम सारभूत और अन्य अपेक्षित कार्यक्रमों के क्रेडिट सहित मुख्य विषयों के लिए सूची तैयार करेगी। सारभूत पाठ्यक्रम में पंजीकृत सभी छात्रों के लिए गौण पाठ्यक्रम आवश्यक होंगे। छात्र चुने हुए, सामान्य, उपचारिक या अन्य कोई पाठ्यक्रम जैसा सलाहकार समिति विहित करें, ले सकते हैं। पाठ्यक्रम कार्यक्रम में अध्ययन के गौण क्षेत्र में अपेक्षित पाठ्यक्रमों को भी सूचीबद्ध किया जायेगा।

(3) अध्ययन के क्षेत्र से सम्बन्धित शोध कार्यक्रम से प्रवेशित छात्र से अपेक्षा की जाएगी कि वह ऐसे सारभूत पाठ्यक्रम जैसा मास्टर कार्यक्रम की शाखा से सलाहकार/सलाहकार समिति विहित करें, ले।

(4) पाठ्यक्रम में उसके स्तर, क्रेडिट अधिमान और सम्बन्धित स्कूल द्वारा वर्ष में सामान्यतया दिए जाने वाले पाठ्यक्रम संख्यांकित किए जाएंगे।

19–क्रेडिट अपेक्षाएं–

(1) स्कूल संकाय परिषद् की संस्तुति पर शैक्षिक परिषद् विश्वविद्यालय में शोध कार्यक्रमों के लिए अपेक्षित क्रेडिट अधिकथित करेगी।

(2) परास्नातक कार्यक्रम के लिए सामान्यतया शोध ग्रन्थ या औपचारिक पत्र या शोध परियोजना रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए नियत पाठ्यक्रम पूर्ण करना अपेक्षित होगा।

(3) जब तक शैक्षिक परिषद् द्वारा अन्यथा विहित न किया जाय, शोध कार्यक्रम न्यूनतम 60 क्रेडिट के पाठ्यक्रम कार्य से मिलकर बनेंगे, जिसमें न्यूनतम 600 और 700 क्रम पाठ्यक्रम के 20 क्रेडिट और 40 क्रेडिट परियोजना कार्य के लिए होंगे।

(4) छात्रों से अपेक्षा होगी कि सलाहकार/सलाहकार समिति द्वारा चिन्हांकित उपचारिक पाठ्यक्रमों के कतिपय प्रारम्भिक पाठ्यक्रम लें। ऐसे पाठ्यक्रमों की क्रेडिट संख्या अपेक्षित क्रेडिट संख्या के अतिरिक्त होगी तथा छात्र के उपाधि कार्यक्रम के साथ आगणित की जाएगी।

20–पाठ्यक्रमों का मूल्यांकन और ग्रेडप्वाईंट अपेक्षाएं–

(1) स्कूल संकाय परिषद् की संस्तुति पर शैक्षिक परिषद् स्कूल द्वारा प्रस्तावित अध्ययन के विभिन्न पाठ्यक्रमों/कार्यक्रमों के मूल्यांकन की सामयिक प्रक्रिया अधिकथित करेगी, छात्र दक्षता 10 अंक श्रेणी माप पर होगी।

(2) प्रत्येक स्कूल की एक परीक्षक परिषद् होगी, जिसमें स्कूल के सभी पाठ्यक्रम शिक्षक अध्ययन संबंधित सेमिस्टर के विभिन्न पाठ्यक्रमों में ग्रेडिंग का पुनरीक्षण सम्मिलित होगा।

(3) शिक्षक छात्र के प्रत्येक पाठ्यक्रम में सामयिक अंक आवंटित करने हेतु विहित प्रक्रिया से परीक्षा/मूल्यांकन करेगा। सेमिस्टर के अन्त मे पाठ्यक्रम मे कुल प्राप्तांक 100 में से ग्रेड में परिवर्तित की जाएगी। यदि छात्रों की संख्या एक कक्षा में 15 या उससे न्यून है तो नीचे तालिका 1 में दी गयी रीति से गणना की जाएगी।

तालिका–1 : छात्रों की शैक्षणिक दक्षता की श्रेणियां

शैक्षणिक दक्षता	ग्रेड	ग्रेड प्वाईंट	100 में से प्राप्त अंक
अति उत्कृष्ट	ए+	10	90 -100
उत्कृष्ट	ए-	9	80–90 से न्यून
बहुत अच्छा	बी+	8	70–80 से न्यून
अच्छा	बी	7	60 70 से न्यून

सामान्य	सी	6	50–60 से न्यून
उत्तीर्ण	डी	5	40–50 से न्यून
खराब	ठ	3	30–40 से न्यून
अनुत्तीर्ण	एफ	1	30 से न्यून अथवा 85 प्रतिशत से न्यून उपस्थिति

तालिका– 2 न्यून और उच्च अंक स्तर के मामले में श्रेणी

अंक

ग्रेड	न्यून स्तर के अंक	उच्च स्तर के अंक
ए+		$\geq \square + 1.5\,\sigma$
ए	$\geq \square + 1\,\sigma$	$\geq \square + 1\,\sigma$
बी+	$\geq \square + 0.5\,\sigma$	$\geq \square + 0.5\,\sigma$
बी	$> \square$	$\geq \square$
सी	$\square - 0.5\,\sigma$	$\geq \square - 0.5\,\sigma$
डी	$\geq \square - 1.0\,\sigma$	$\geq \square - 1.0\,\sigma$
इ	$> \square - 1.5\,\sigma$	$> \square - 1.5\,\sigma$
एफ	$\square$ -1.5σसे नीचे	$\square$ -1.5σसे नीचे

(4) जिसमें छात्र संख्या 30 या अधिक है तो छात्र दक्षता तालिका 2 में दिए गए तरीके से ग्रेडिंग की जाएगी। औसत ($\square$) कक्षा अंक और माप विचलन (σ) अंकों के निर्धारण के लिए सीमा होगी।

(5) छात्र संख्या 10 और 30 से न्यून के लिए रीति तालिका 1 में दी गयी है या सांख्यिकी रीति से कक्षा अंक औसत ($\square$) और माप विचलन (σ) छात्र दक्षता के लिए तालिका 2 में दिए गए तरीके से ग्रेडिंग की जा सकेगी।

(6) किसी पाठ्यक्रम में ग्रेड प्वाईंट इस अध्यादेश के प्रस्तर (आठ) में दी गई परिभाषा की रीति से पाठ्यक्रम में छात्र द्वारा प्राप्त ग्रेड के आधार पर आगणित की जाएंगी।

(7) सेमिस्टर ग्रेड प्वाईंट औसत/संचयी ग्रेड प्वाईंट औसत/समग्र ग्रेड प्वाईंट औसत इस अध्यादेश में (नौ से ग्यारह) में दी गई परिभाषा की रीति के अनुसार क्रेडिट तथा छात्र द्वारा पाठ्यक्रम में दिए गए सेमिस्टर में अर्जित प्वाईंट से आगणित की जाएंगी।

(8) यदि न्यूनतम 7.500 के पाठ्यक्रम कार्य के अन्त में समग्र श्रेणी औसत अंक प्राप्त कर ली हो और यदि उसके शोध ग्रन्थ कार्य का मूल्यांकन संतोषजनक है तो उसे शोध उपाधि दी जायेगी।

(9) योग्यता प्राप्ति के सम्बन्ध में संचयी ग्रेड प्वाईंट औसत/समग्र ग्रेड प्वाईंट औसत का निर्वचन निम्नवत् होगाः–

(क) किसी छात्र से शोध उपाधि सहित प्रत्येक सेमिस्टर के दौरान उसके शैक्षणिक दक्षता के लिए संचयी ग्रेड प्वाईंट औसत के न्यूनतम 7.500 रखने की अपेक्षा की जाएगी।

(ख) असंतोषजनक शैक्षणिक दक्षता वाले छात्र को इस उद्देश्य के लिए अधिकथित रीति के अनुसार शैक्षणिक परिवीक्षा पर रखा जाएगा।

(10) जो छात्र एफ ग्रेड प्राप्त करेंगे, पुनः उस पाठ्यक्रम का अध्ययन करेंगे। यदि कोई छात्र फिर भी अपनी ग्रेड में सुधार नहीं कर पाता है तो उसे एफ के अतिरिक्त इ ग्रेड के कोर्स का भी अध्ययन करने की अनुमति दी जा सकेगी, यद्यपि छात्र की अन्तिम अनुलिपि जारी करते समय अनुत्तीर्ण विषयों के क्रेडिट में समग्र ग्रेड प्वाईंट औसत की गणना नहीं की जाएगी।

(11) मामले की महत्ता को दृष्टिगत रखते हुए और/या संबंधित स्कूल/केन्द्र की संस्तुति पर शैक्षिक परिषद् आपवादिक मामलों में उपर्युक्त प्राविधानों में छूट दिए जाने हेतु सेमिस्टर ग्रेड प्वाईंट औसत/संचयी ग्रेड प्वाईंट औसत/समग्र ग्रेड प्वाईंट औसत के मूल मानदंडों में कोई बदलाव न करते हुए अपने विवेक का प्रयोग कर सकती है।

21–उपाधि/पाठ्यक्रम विकास और पाठ्यविवरण–

शोध उपाधि/पाठ्यक्रम कार्यक्रम और पाठ्य विवरण संबंधित स्कूल द्वारा तैयार और शैक्षिक परिषद् द्वारा अनुमोदित किए जाएंगे।

अध्याय–पाँच

शुल्क संरचना और छात्रों की वित्तीय सहायता

22–विश्वविद्यालय का शुल्क ढांचा–

दून विश्वविद्यालय में विभिन्न पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत् छात्र/छात्राओं के लिए शुल्क निम्नवत् अधिरोपित किया जाएगा–

(1) प्रवेश शुल्क – रु0 2000.00

(2) प्रवेश आवेदन और विवरण पत्रिका शुल्क– रु0 600.00 तथा रु0 50.00 डाक व्यय जहां लागू हो। उत्तराखण्ड के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्र इस शुल्क का 50 प्रतिशत ही संदाय करेंगे।

(3) अवधान धनराशि – रु0 5000.00 (प्रत्यावर्तनीय)

(4) प्रोजेक्ट/लेख (थीसिस) शुल्क (जहां लागू हो) – रु0 5000 परास्नातक छात्रों हेतु

– रु0 10000 शोधार्थियों हेतु

(5) परास्नातक और शोध पाठ्यक्रमों के लिए शुल्क संरचना :

(प्रति सेमिस्टर शुल्क रु0)

शुल्क	स्कूल आफ इन्वायरनमेंट परास्नातक एवं शोध छात्रों हेतु	स्कूल आफ कम्युनिकेशन परास्नातक एवं शोध छात्रों हेतु
शिक्षा शुल्क	10000	10000
उपकरण/उपभोगीय शुल्क	3000	7000
पुस्तकालय शुल्क	1000	1000
प्रयोगशाला शुल्क	500	–
क्रीड़ा/सांस्कृतिक गतिविधियां	500	500
परीक्षा शुल्क	500	500
विविध (चिकित्सा/आई0डी0)	500	500
छात्र सहायता शुल्क	200	200
कम्प्यूटर/इन्टरनेट शुल्क	2300	2300
फील्ड विजिट शुल्क	1500	3000
कुल	20,000*	25,000*

*उत्तराखण्ड के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी अध्यादेश संख्या 22 के खण्ड (5) में उल्लिखित शुल्क का 50 प्रतिशत संदाय करेंगे।

•छात्रावास शुल्क रु0 3000.00 प्रति सत्र प्रति छात्र अलग से देय होगा जिसमें विद्युत अधिभार सम्मिलित नहीं है, जो वास्तविक खर्च के अनुरूप होगा।

(6) मेस अग्रिम रु0 5000.00 प्रवेश के समय देय होगा और सेमिस्टर के पश्चात् समायोजित होगा।

23–वित्तीय सहायता–

(1) विश्वविद्यालय मेरीटोरियस (योग्य) छात्रों को उनके कार्य मूल्यांकन के उपरान्त (क) योग्यता छात्रवृत्ति एवं (ख) अध्यापन/शोध सहायक वृत्ति के रूप में वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने का प्रयास करेगा।

(2) किसी छात्र के दो समवर्ती स्रोतो से वित्तीय सहायता प्राप्त करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

आज्ञा से,

इन्दुधर बौड़ाई,
अपर सचिव।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 30 हिन्दी गजट/353–भाग 1–2009 (कम्प्यूटर/रीजियो)।

मुद्रक एवम् प्रकाशक–संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की।

पजीकृत सख्या यू0ए0 / डी0ओ0 / डी0डी0एन0 / 30 / 2009 11
(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 25 जुलाई, 2009 ई0 (श्रावण 03, 1931 शक सम्वत्)

भाग 1–क

नियम, कार्य–विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया

HIGH COURT OF UTTARAKHAND, NAINITAL

NOTIFICATION

July 09, 2009

No. 123/UHC/XIV/33/Admin.A--Sri D.P. Gairola, District & Sessions Judge, Pithoragarh, is hereby sanctioned earned leave for 12 days *w.e.f.* 01.06.2009 to 12.06 2009 with permission to prefix 31 05.2009 as Sunday and to suffix 13 06.2009 and 14.06 2009 as 2nd Saturday and Sunday holidays.

By Order of Hon'ble the Administrative Judge,

Sd/-
PRASHANT JOSHI,
Registrar (Inspection).

July 09, 2009

No. 124/UHC/Admin.A/2009--Sri Roop Deo Pandey, District & Sessions Judge, Uttarkashi is transferred and posted as District & Sessions Judge, Nainital *vice* Sri Virendra Bahadur Rai.

July 09, 2009

No. 125/UHC/Admin.A/2009--Sri Kanta Prasad, Presiding Officer, Labour Court, Dehradun is repatriated and posted as District & Sessions Judge, Uttarkashi *vice* Sri Roop Deo Pandey

July 09, 2009

No. 126/UHC/Admin.A/2009--Sri Alok Kumar Verma Addl Secretary (Law)-cum-Addl L.R , Government of Uttarakhand, Dehradun is repatriated and posted as District & Sessions Judge, Tehri Garhwal *vice* Sri Ram Singh

By Order of Hon ble the Chief Justice,

Sd/-
RAVINDRA MAITHANI,
Registrar General.

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 30 हिन्दी गजट / 353–भाग 1–क–2009 (कम्प्यूटर / रीजियो)।
मुद्रक एवम् प्रकाशक–संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की।

पंजीकृत संख्या–यू0ए0 / डी0ओ0 / डी0डी0एन0 / 30 / 2009–11
(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 25 जुलाई, 2009 ई0 (श्रावण 03, 1931 शक सम्वत्)

भाग 3

स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़–पत्र, नगर प्रशासन, नोटीफाइड एरिया, टाउन एरिया एवं निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा पंचायतीराज आदि के निदेश जिन्हें विभिन्न आयुक्तों अथवा जिलाधिकारियों ने जारी किया

कार्यालय, जिलाधिकारी / जिला निर्वाचन अधिकारी (पं0), चमोली

राज्य की ग्राम पंचायतों के उप प्रधानों के रिक्त पदों का सामान्य निर्वाचन, 2009

सूचना

30 जून, 2009 ई0

संख्या 540 / 21–38 / उप प्रधान / ग्रा0पं0नि0 / 09–राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड देहरादून की अधिसूचना संख्या 202 / रा0नि0आ0अनु–02 / 946 / 2008, दिनांक 26 जून, 2009 के परिपालन में उ0प्र0 पंचायतीराज (ग्राम पंचायतों के उप प्रधानों का निर्वाचन) नियमावली–1994 के उपबन्धों के अनुसार मैं, जिला मजिस्ट्रेट / जिला निर्वाचन अधिकारी (पं0) चमोली एतद्द्वारा निर्देश देता, हूं कि जनपद–चमोली की ग्राम पंचायतों के उप प्रधान के सामान्य निर्वाचन, 2008 के उपरान्त रिक्त रह गये उप प्रधान ग्राम पंचायतों के पदों हेतु निम्नांकित विनिर्दिष्ट समय–सारणी के अनुसार सम्पन्न कराये जायेंगे :–

नाम निर्देशन पत्रों को जमा करने का दिनांक व समय	नाम निर्देशन पत्रों की जांच का दिनांक व समय	नाम वापसी हेतु दिनांक व समय	निर्वाचन प्रतीक आवंटन का दिनांक व समय	मतदान का दिनांक व समय	मतगणना का दिनांक व समय
1	2	3	4	5	6
13 जुलाई, 2009 (पूर्वान्ह 10.00 बजे से पूर्वान्ह 11.00 बजे तक)	13 जुलाई, 2009 (पूर्वान्ह 11.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक)	13 जुलाई, 2009 (दोपहर 12.00 बजे से अपरान्ह 12.30 बजे तक)	13 जुलाई, 2009 (अपरान्ह 12.30 बजे से अपरान्ह 13.00 बजे तक)	13 जुलाई, 2009 (अपरान्ह 13.30 बजे से अपरान्ह 15.30 बजे तक)	13 जुलाई, 2009 (अपरान्ह 16.00 बजे से कार्य की समाप्ति तक)

उप प्रधान के पद हेतु नाम निर्देशन पत्रों को प्रस्तुत किया जाना, नाम निर्देशन पत्रों की जांच, नाम वापसी, निर्वाचन (प्रतीक) आवंटन, मतदान तथा मतगणना का कार्य एवं परिणाम की घोषणा संबंधित ग्राम पंचायत मुख्यालय पर करायी जायेगी।

उ0प्र0 पंचायतीराज (सदस्यों, प्रधानों और उप प्रधानों का निर्वाचन) नियमावली 1994 (उत्तराखण्ड राज्य में यथा संशोधित एवं यथा प्रवृत्त) के नियम 117(1) में दी गयी व्यवस्था के अनुसार उप प्रधान के निर्वाचन के लिए प्रधान या किसी कारणवश उसकी अक्षमता की दशा में या बैठक न बुलाने के कारण सहायक विकास अधिकारी पंचायत इस सूचना में विनिर्दिष्ट दिनांक को ग्राम पंचायत की बैठक बुलायेंगे।

संलग्निका

क्र0सं0	विकास खण्ड का नाम	उप प्रधान के रिक्त का विवरण
1	2	3
1.	देवाल	1 उलंग्रा
2.	नारायणबगड़	1 कोठली
3.	गैरसैंण	1 कलचुण्डा 2 झुमाखेत उत्तरी
4.	पोखरी	1 सिमखोली
5.	दशोली	1 स्यूण
6.	जोशीमठ	1 फरकिया 2 गुलाबकोटी

जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी,
(पं0) चमोली।

कार्यालय, जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी, नैनीताल

सूचना

30 जून, 2009 ई0

संख्या 117/पंचा0चुना0/उप निर्वाचन–उप प्रधान/2009–10–राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड की अधिसूचना संख्या 303/रा0नि0आ0अनु–2/946/2008, दिनांक 26 जून, 2009 द्वारा उत्तराखण्ड राज्य के सभी जनपदों (जनपद हरिद्वार को छोड़कर) की ग्राम पंचायतों के रिक्त उप प्रधानों के निर्वाचन हेतु अधिसूचित समय सारणी के अनुक्रम में, मैं हरिताश गुलशन, जिला निर्वाचन अधिकारी/जिलाधिकारी नैनीताल जिले के विकास खण्ड धारी एवं ओखलकाण्डा के अन्तर्गत आने वाली ग्राम पंचायतों में परिशिष्ट "क" के अनुसार रिक्त उप प्रधानों के निर्वाचन हेतु निम्नानुसार समय सारणी सूचित करता हूं :–

नाम निर्देशन पत्रों को जमा करने का दिनांक व समय	नाम निर्देशन पत्रों की जांच का दिनांक व समय	नाम वापसी हेतु दिनांक व समय	निर्वाचन प्रतीक आवंटन का दिनांक व समय	मतदान का दिनांक व समय	मतगणना का दिनांक व समय
1	2	3	4	5	6
13–07–2009 (पूर्वान्ह 10.00 बजे से पूर्वान्ह 11.00 बजे तक)	13–07–2009 (पूर्वान्ह 11.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक)	13–07–2009 (दोपहर 12.00 बजे से अपरान्ह 12.30 बजे तक)	13–07–2009 (अपरान्ह 12.30 बजे से अपरान्ह 13.00 बजे तक)	13–07–2009 (अपरान्ह 13.30 बजे से अपरान्ह 15.30 बजे तक)	13–07–2009 (अपरान्ह 16.00 बजे से कार्य की समाप्ति तक)

जिला नैनीताल के परिशिष्ट "क" पर उल्लिखित ग्राम पंचायतों की बैठक निर्धारित दिनांक 13–07–2009 को निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार उप प्रधान के निर्वाचन की कार्यवाही हेतु सम्बन्धित ग्राम पंचायत के पंचायत भवन में, यदि पंचायत भवन उपलब्ध न हो तो ग्राम पंचायत में स्थित विद्यालय में अथवा अन्य सार्वजनिक स्थान में जिसे निर्वाचन अधिकारी द्वारा उस पंचायत की बैठक बुलाने हेतु निर्धारित किया गया हो, आहुत की जायेगी। यह बैठक धार्मिक स्थानों अथवा किसी व्यक्ति विशेष के निवास स्थान पर कदापि नहीं होगी। बैठक के स्थान पर निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार

निर्वाचन की समस्त कार्यवाही जैसे नामांकन पत्रों की प्राप्ति, जांच, नाम वापसी, प्रतीक आवंटन, आवश्यकतानुसार मतदान एवं मतगणना की कार्यवाही की जायेगी। इस निर्वाचन में वही प्रक्रिया अपनायी जायेगी जो अधिनियम एवं आयोग द्वारा निर्धारित एवं निर्देशित है।

निर्वाचन कार्यक्रम के जन साधारण के मध्य व्यापक प्रचार–प्रसार के उद्देश्य से ग्राम पंचायत क्षेत्रों में मुनादी तथा ग्राम पंचायत क्षेत्र, जिला पंचायत, तहसील कार्यालय में सूचना पटों पर इस कार्यक्रम को प्रकाशित किया जाय।

परिशिष्ट "क"

उप प्रधान के निर्वाचन हेतु रिक्त पदों का विवरण

क्र0सं0	विकास खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम
1.	धारी	1–सलिया कोट मल्ला
2.	ओखलकाण्डा	1–धैना 2–चमोली 3–तल्लाकाण्डा

हरिताश गुलशन,
जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी,
नैनीताल।

कार्यालय, पंचास्थानि चुनावालय, चम्पावत

सूचना

30 जून, 2009 ई0

पत्रांक 362/त्रि0पं0/उप निर्वाचन–2/2009–राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड की अधिसूचना संख्या 303/रा0नि0आ0–2/946/2008, दिनांक 26 जून, 2009 के क्रम में, मैं जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत), चम्पावत एतद्द्वारा यह निर्देश देता हूं कि ग्राम पंचायतों के उप प्रधान के सामान्य निर्वाचन–2008 के उपरान्त रिक्त रह गये उप प्रधान, ग्राम पंचायत के पदों/स्थानों पर निर्वाचन निम्नांकित विनिर्दिष्ट समय–सारिणी के अनुसार कराये जायेंगे।

नाम निर्देशन पत्रों को जमा करने का दिनांक व समय	नाम निर्देशन पत्रों की जांच का दिनांक व समय	नाम वापसी हेतु दिनांक व समय	निर्वाचन चिन्ह आवंटन का दिनांक व समय	मतदान का दिनांक व समय	मतगणना का दिनांक व समय
1	2	3	4	5	6
13–07–2009 (पूर्वान्ह 10.00 बजे से पूर्वान्ह 11.00 बजे तक)	13–07–2009 (पूर्वान्ह 11.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक)	13–07–2009 (दोपहर 12.00 बजे से अपरान्ह 12.30 बजे तक)	13–07–2009 (अपरान्ह 12.30 बजे से अपरान्ह 13.00 बजे तक)	13–07–2009 (अपरान्ह 13.30 बजे से अपरान्ह 15.30 बजे तक)	13–07–2009 (अपरान्ह 16.00 बजे से कार्य की समाप्ति तक)

विकास खण्डवार पद/स्थानों का विवरण, जिन पर निर्वाचन होना है

क्र0सं0	विकास खण्ड का नाम	पद/स्थान	रिक्त पद/स्थानों की संख्या जिन पर निर्वाचन होना है	
			संख्या	विवरण
1	2	3	4	5
1.	चम्पावत	उप प्रधान ग्राम पंचायत	04	अनुलग्नक–1 के अनुसार
2.	लोहाघाट		01	
		योग	05	

नामांकन पत्र दाखिल करने, उनकी जांच करने व नाम वापसी तथा निर्वाचन प्रतीक आवंटन का कार्य, ग्राम पंचायत मुख्यालय पर होगा और वही मतों की गणना की जायेगी तथा परिणाम भी घोषित किये जायेंगे।

अनुलग्नक–1

क्र0 सं0	विकास खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	रिक्त प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र (वार्ड) क्रमांक
1	2	3	4
1.	चम्पावत	1–बुडम	–
		2–मथियॉबॉज	–
		3–सोराई	–
		4–हरिपुर नरसिंह डाडा	–
2.	लोहाघाट	1–चौडला	

जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी,
(पंचायत), चम्पावत।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 30 हिन्दी गजट/353–भाग 3–2009 (कम्प्यूटर/रीजियो)।

मुद्रक एवम् प्रकाशक–संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की।